रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1972/चैत्र 5, 1894

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1972/CHAITRA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March 1972

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) the Central Government h appoints Shri K. R. Puri as Chairman of the Life Insurance Corporation India with effect from the forenoon of the 27th March, 1972, *vice* Shri T. / resigned

[No. F. 1(2)-Ins.

A. RAJAGOPALAN

Officer on Special Duty & *Ex-officio* Add

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

का०आ० 233(**अ०**).—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री के० आर० पुरी को, श्री टी० ए० पाई, जिन्होंने पदत्याग कर दिया है, के स्थान पर, 27 मार्च, 1972 के पूर्वाह्न से भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[सं० फा० 1(2)—बीमा—II/70]

ए० राजगोपालन,

विशेष कार्य अधिकारी और सदेन अपर सचिव।

NTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
V DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF, PUBLICA